

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.2 ()बजट/आवंटन//ICDS/2017/ 202053-56

जयपुर,दिनांक : 27-12-17

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जालौर, बाड़मेर, सीकर, चित्तौड़गढ़

विषय:—प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।
संदर्भ:—सहायक निदेशक, आईईसी, मुख्यालय के यू.ओ. नोट क्रमांक 196568 दिनांक
18.12.2017


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत आयोजित पीएमएमवीवाई-सीएस प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में के लिए निम्न लेखा शीर्षों के अनुसार निम्न उप निदेशकों को बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या -33
2236- पोषण
02- पोषण भोजन तथा सुपेय का वितरण
101- विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[13]- सशर्त मातृत्व लाभ योजना
12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	नाम जिला कार्यालय	कुल आवंटन	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि
1	उप निदेशक, जालौर	9200	5520	3680
2	,, , बाड़मेर	12400	7440	4960
3	,, , सीकर	10400	6240	4160
4	,, , चित्तौड़गढ़	13200	7920	5280

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा योजना/गतिविधि क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार मैचिंग शेयर अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:एफ.2 ()बजट/आवंटन//ICDS/2017/ 202057-58

जयपुर,दिनांक : 27-12-17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक निदेशक (आई.ई.सी.), मुख्यालय को संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में लेख है कि राशि का समय पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार